

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

क्रमांक बनाम शक्ति

किसम मुकदमा :- 89/188

राज0 कस्त0 अधि0 1955

प्रकरण संख्या 25 सन् :- 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

24/11/25

अधिवक्ता वादी न उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंगन धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियकें नोटिस लतब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी-तलबी दिनांक को पेश हो।

11/25

11/11/25
 प्रस्ताव के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 26/11/25 को पेश हो।
 आदेशानुसार
 रीड

26.11.25

वकील वादी ने उपरोक्त वाद पत्रावली लतब कर विद्ये किये का बल धरा कर विवेक किया कि उपरोक्त वादी वादी को कार्यवाही नहीं ला रहा है वकील वादी के विवेक पर कोष कोर प्रकृति वा शकरीय किया जाना है पत्रावली प्रकृति सुनाते थे कोर + कोर से मद्र हो न दाकिम दफ्तार हो।

रखा
 Sir,
 Del. by me
 26/11/25

